कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

विज्ञप्ति

पंचायत राज अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो के लिए अध्यापक तृतीय श्रेणी के पदों हेतु , विधवा/विवाह विच्छिन्न महिलाओं को नियुक्तियां प्रदान करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। यह नियुक्तियां **698** पदों पर की जानी है। विधवा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं हेतु वर्गवार पदों का आवंटन निम्न प्रकार है –

(1) विधवा महिलाओं के लिए –

SN	District	POST	Gen	OBC	SC		ST		HANDI CAP
					NON TSP AREA	TSP AREA	NON TSP AREA	TSP AREA	
1 to 26	Remaining Dist	466	240	97	74	0	55	0	
27	Banswara	21	13	1	1	0	1	5	
28	Baran	18	10	0	0	0	0	8	
29	Chittorgarh	14	9	2	1	0	1	1	
30	Dungarpur	12	7	0	0	0	0	5	
31	Sirohi	8	6	1	1	0	0	0	
32	Udaipur	19	12	1	1	0	1	4	
	TOTAL	558	297	102	78	0	58	23	16

(2) विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिए –

SN	District	POST	Gen	OBC	SC		ST		HANDI CAP
					NON TSP AREA	TSP AREA	NON TSP AREA	TSP AREA	
1 to 26	Remaining Dist	116	61	24	18	0	13	0	
27	Banswara	5	4	0	0	0	0	1	
28	Baran	5	3	0	0	0	0	2	
29	Chittorgarh	4	4	0	0	0	0	0	
30	Dungarpur	3	2	0	0	0	0	1	
31	Sirohi	2	2	0	0	0	0	0	
32	Udaipur	5	4	0	0	0	0	1	
	TOTAL	140	80	24	18	0	13	5	4

नोट–

- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो उसके लिए अलग से विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।
- निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम 2000 के अनुसार आरक्षित है।
- भू.पूर्व सैनिकों हेतु नियमानुसार आरक्षण देय है।

- अनु.जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/जनजाति योजना क्षेत्र एवं बांरा जिले किशनगंज व शाहबाद तहसीलों के स्थानीय सहरिया जाति हेतु नियमानुसार आरक्षण हैं। नोट – राजस्थान सरकार के सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रार्थिनी के पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- विज्ञप्ति में राज्य सरकार में विचाराधीन विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग पर लिये गये निर्णय के अनुरूप विज्ञप्ति में संशोधन किया जा सकेगा।
- विवाह विच्छिन्न महिलाओं को तलाक की डिक्री, जो सक्षम न्यायालय के द्वारा जारी की हो, प्रस्तुत की जानी होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व सक्षम न्यायालय द्वारा जारी तलाक की डिक्री प्रस्तुत करनी होगी तथा मुस्लिम महिलाओं के मामले में न्यायालय की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस क्रम में उन्हें समाज के दो प्रतिष्ठित लोगों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उनके तलाक को प्रमाणित करेगा, साथ ही आशार्थी महिला स्वयं भी इस सम्बंध में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी।
- डिक्री/तलाकनामें मे उल्लेखित विवाह विच्छिन्न महिला वह स्वयं है इस संबंध में पूर्व पति के साथ संबंध को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (विवाह प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/वोटर आई.डी /बैंक पासबुक/खातेदारी जमा बंदी नकल/नोमिनी प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसके व उसके पूर्व पति का नाम अंकित हो।
- विधवा हेतु पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र जो सक्षम कार्यालय स्तर से जारी हो प्रस्तुत करना होगा तथा इसके साथ मृतक के साथ पति–पत्नि संबंध को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (विवाह प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/वोटर आई डी/बैंक पास बुक/खातेदारी जमा बंदी नकल/नोमिनी प्रमाण पत्र आदि) प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसके पति के स्थान पर मृतक का नाम अंकित हो।
- राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्याय 12 भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तो के नियम 256 में वर्णानुसार नियोजन के लिए अपात्र को नियोजित नहीं किया जाएगा।
- पुनरक्षित वेतनमान 2008 के अनुरूप 5200–20200 पे बेंड प्रथम में ग्रेड पे 2800 रूपये परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना 12.09.08 के अनुरूप कार्यग्रहण के प्रथम दो वर्ष तक 8950/– नियत वेतन पर।
- यह नियुक्तियां राज्य सरकार के नवीनतम प्रावधानानुसार कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परीविक्षा प्रशिक्षुकाल पर दी जाएगी।
- राज्य सरकार के परिपत्रानुसार प.8 (1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.03 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2003 के बाद की जाने वाली नियुक्ति /भर्ती (आशार्थी) पर अंशदायी पेशन नियम लागू होंगे।

- आशार्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज गलत पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के नियुक्ति अधिकारी द्वारा शिक्षक को सेवा से पृथक किया जा सकेगा साथ ही ऐसा आशार्थी अभियोजन भी उत्तरदायी होगा।
- अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु पात्र प्रशिक्षित महिलाऐं होंगी यदि प्रशिक्षित महिलाओं को नियुक्तियां देने उपरांत भी उस वर्ग में पद शेष रह जाते हैं तो उस वर्ग की अप्रशिक्षित महिलाओं का वरियता के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन किया जाकर एवं उसके प्रशैक्षिक योग्यता प्राप्त करने तक ट्रैनी के रूप में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.03.2008 के अनुसार मासिक मानदेय पर ट्रैनी लगाया जा सकेगा।
- आवेदन पत्र के साथ में प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेज आवेदन करने की अंतिम तिथि **19.03.2010** से पूर्व के जारी हों। आवेदन की अंतिम तिथी के पश्चात प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता, प्रमाण पत्रो की वैद्यता, आयु सीमा, विधवा अथवा विवाह विच्छिन्न का आवश्यक प्रमाण पत्र/डिक्री के अनुरूप पात्र नहीं होने पर प्रार्थिया का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा, इसके लिए अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।

शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता

- आवेदन करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम योग्यता सीनियर सैकण्डरी एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए । उक्त समस्त योग्यताएं राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु मान्य होनी चाहिए।
- प्रशैक्षणिक योग्यता बीएसटीसी/बी.एड़ है। जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

वरियता निर्धारण

- वरियता की गणना भारांक के आधार पर की जायेगी। भारांक की गणना में कक्षा 10 मे प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत के 50 प्रतिशत, कक्षा 12 में प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत के 30 प्रतिशत तथा बीएसटीसी/बीएड में प्राप्त प्राप्तांक प्रतिशत के 20 प्रतिशत अंक जोडे जायेंगे।

आयु सीमा :

- आवेदक प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आशार्थी द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो।
- आवेदक के लिए अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है। (राज्य सेवा की अधिकतम आयु तक)

आवेदन कैसे करे :

- आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग द्वारा विज्ञापित अनुसार मोटे कागज पर टंकित अथवा कम्प्यूटरीकृत होना चाहिए। इनसे भिन्न आवेदन पत्र अथवा सामान्य प्रार्थना पत्र आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- विज्ञापन व आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वैबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर भी उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र के सभी कॉलम की पूर्ति बालपैन/टंकित/कम्प्यूटरीकृत होनी चाहिए।
- संलग्नकों की क्रम संख्या को आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में दर्शाया जाए।
- आवेदन पत्र के साथ तीन लिफाफे मय डाक टिकट व स्वयं का पता लिखे संलग्न किये जाने हैं, जिनमें एक लिफाफे पर बाईस रू के टिकट व अन्य दो पर पांच–पांच रू के टिकट लगे होने चाहिए।
- आवेदन पत्र के साथ सैकण्डरी, सी.सैकण्डरी की अंक तालिकाएं, जन्म तिथि प्रमाण हेतु सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, प्रशैक्षिक योग्यता की अंकतालिका, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/न्यायालय से जारी तलाक की डिक्री अथवा अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा एवं स्वयं का व दो उत्तरदायी व्यक्तियों का शपथ पत्र/जाति प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है। उपर्युक्त दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियां ही प्रस्तुत की जानी है। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें अन्यथा खोने पर विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा। यदि सैकण्डरी परीक्षा गृह परीक्षा के रूप में उत्तीर्ण की गई है तो उसकी अंकतालिका भी प्रस्तुत की जानी है।
- आवेदन पत्र दिनांक **19.03.2010** तक उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय (जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/चूरू/भरतपुर) के पते पर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक से सायं 5 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद पर विधवा/ विवाह विच्छिन्न महिलाओं की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आशार्थी विधवा है अथवा विवाह विच्छिन्न –

(कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदन पत्र प्राप्ति की दिनांक ....
संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या.........................
प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज संख्या ....

हस्ताक्षर उप निदेशक अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी

नवीनतम
फोटो

<table>
<tr><td colspan="8">आवेदन पत्र</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8"></td><td>संलग्नक संख्या</td></tr>
<tr><td colspan="8">1. आशार्थी का नाम (हिन्दी में)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">2. पति का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">3. पिता का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">4. जन्म तिथि –(सैकेण्डरी परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">दिनांक</td><td colspan="2">माह</td><td colspan="4">वर्ष</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">5. डाक का पूरा पता (पिन कोड सहित)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">6. विधवा महिला संबंधी सूचना
❖ पति की मृत्यु का स्थान ....दिनांक ....
❖ मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने का दिनांक...
(नगर पालिका/पंचायत द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
❖ विधवा हेतु पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र जो सक्षम कार्यालय स्तर से जारी हो प्रस्तुत करना होगा तथा इसके साथ मृतक के साथ पति–पत्नि संबंध को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (विवाह प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/वोटर आई डी/बैंक पास बुक/खातेदारी जमा बंदी नकल/नोमिनी प्रमाण पत्र आदि) प्रस्तुत करना होगा जिसमें उसके पति के स्थान पर मृतक का नाम अंकित हो।</td><td></td></tr>
</table>

7. विवाह विच्छिन्न महिला संबंधी सूचना

- न्यायालय का नाम एवं स्थान जिसके द्वारा विवाह विच्छिन्न होने का आदेश पारित हुआ ....(सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- डिक्री जारी होने की दिनांक .... (सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- मुस्लिम महिलाओं के मामले में न्यायालय की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस क्रम में उन्हें समाज के दो प्रतिष्ठित लोगों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उनके तलाक को प्रमाणित करेगा, साथ ही आशार्थी महिला स्वयं भी इस सम्बंध में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी।
- डिक्री/तलाकनामें मे उल्लेखित विवाह विच्छिन्न महिला वह स्वयं है इस संबंध में पूर्व पति के साथ संबंध को दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (विवाह प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/वोटर आई.डी /बैंक पासबुक/खातेदारी जमा बंदी नकल/नोमिनी प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसके व उसके पूर्व पति का नाम अंकित हो।

8. शैक्षिक योग्यता (अंकतालिका की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	
सैकण्डरी					
सी.सैकण्डरी					
एसटीसी/ बी.एड					
अन्य					

9. आशार्थी किस श्रेणी की है ....
(सामान्य/ओबीसी/अजा/अजजा)
(जाति प्रमाण पत्र जो पिता के नाम से हो, राजस्थान सरकार के सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया मान्य होगा, जिसमें ओबीसी का प्रमाण पत्र क्रिमीलियर का उल्लेख हो)

10. क्या आशार्थी जन जाति उपक्षेत्र की निवासी है – हाँ/नहीं
यदि हाँ तो पंचायत समिति व जिले का नाम लिखे
(जाति प्रमाण पत्र जो पिता के नाम से हो, राजस्थान सरकार के सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया मान्य होगा)

11. क्या आशार्थी बांरा जिले के शाहबाद/किशनगंज तहसील की सहरिया जाति की है – हां/नहीं ।
(जाति प्रमाण पत्र जो पिता के नाम से हो, राजस्थान सरकार के सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया मान्य होगा)

12 क्या आशार्थी राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम 2000 के अनुसार निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद पर आवेदन कर रही है – हां / ना (जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत हो निर्धारित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करे।)	
13. जिले का नाम जहां पदस्थापन चाहती है – (5 जिलों का नाम वरीयतानुसार भरे) 1...2.. 3...4.. 5...	

हस्ताक्षर प्रार्थिया
मय दिनांक

<u>प्राप्ति रसीद</u>

आपका आवेदन पत्र रजिस्टर क्रमांक .... दिनांक.......................... पर दर्ज कर लिया गया है ।

हस्ताक्षर प्राप्तिकर्ता